**Regarding Neglisgence in matter of CETP plant and its Enviourmental impact**

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल **(**बाड़मेर**):** माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार ।

मैं आपका ध्यान राजस्थान के बालोतरा स्थित औद्योगिक क्षेत्र के अंदर सीईटीपी प्लांट के द्वारा गंभीर लापरवाही और उससे उत्पन्न हुई आपदा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । यह सीईटीपी प्लांट 18 एमएलडी क्षमता का है, लेकिन यह कागजों के अंदर ही चलता है । एक्चुअल में यह तीन से चार एमएलडी से ज्यादा क्षमता पर कभी नहीं चला है । मैं खुद उस प्लांट में विज़िट करके आया हूं । वहां आउटपुट और इनपुट का कोई रिकॉर्ड नहीं है । औद्योगिक इकाइयों द्वारा दूषित पानी बिना ट्रीटमेंट किए सीधा नदी के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिस कारण लूनी नदी के आस-पास के क्षेत्र के किसानों के खेत बंजर हो चुके हैं । भूमिगत जल स्त्रोत पूरी तरीके से दूषित हो चुका है और राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा इसके निरीक्षण के उपरांत 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और प्लांट को बंद करने का आदेश दिया गया । जिला कलेक्टर के कार्यालय से मात्र 300 मीटर दूर स्थित इस प्लांट की ओर किसी के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है । इस पर कार्रवाई के बजाय इस प्लांट के संचालनकर्ता को राज्य सरकार के मंत्री द्वारा  (व्यवधान) मुझे अपनी बात कंप्लीट करने के लिए एक मिनट दीजिए ।  (व्यवधान)